कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा/माध्यमिक/शाला दर्पण/60394(1)/2017–18/222 दिनांक :–15.6.17

समस्त संस्था प्रधान,
राउमावि/मावि

विषय :– नवनियुक्त कार्मिकों को शालादर्पण पर कार्यग्रहण के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा चयनित व्याख्याताओं की काउन्सलिंग के उपरान्त पदस्थापन आदेश जारी किए जा रहे है इसी प्रकार समय–समय पर नए कार्मिकों के नियुक्ति आदेश जारी किए जाते है । आदेशों की पालना में नवनियुक्त कार्मिकों के कार्यग्रहण के दौरान यह देखा गया है कि शालादर्पण पर कार्यग्रहण करते समय Employee ID के अभाव में काल्पनिक Employee ID फीड कर शालादर्पण पर भी कार्यग्रहण कर लिया जाता है जो उचित नहीं है ।

अतः समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि नव नियुक्त कार्मिकों को कार्यग्रहण करते ही संस्था प्रधान के माध्यम से Employee ID के लिए आवेदन किया जावे तथा कार्मिक की Employee ID जारी होने के उपरान्त ही शालादर्पण पर कार्यग्रहण करावें । Employee ID के आवेदन करने में अनावश्यक विलम्ब कर शालादर्पण पर कार्यग्रहण में विलम्ब नहीं किया जावे तथा इसे अधिकतम एक सप्ताह में आवश्यक रूप से पूर्ण किया जावे ।

(विजय शंकर आचार्य)
उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान् निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप जयपुर ।
3. समस्त उपनिदेशक मा शिक्षा को भेजकर लेख है कि शालादर्पण कार्य का प्रबोधन करें ।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को भेजकर लेख है समस्त संस्था प्रधानों को उपरोक्तानुसार कार्य करने हेतु निर्देश जारी कर प्रबोधन करें।
5. प्रभारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
6. स्टाफ ऑफिसर कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट एवं शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड करने हेतु

सहानिदेशक (शालादर्पण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

E:\GOVIND GEN.LETTER